

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/क०रा०बी०यो०-06/2023 श्र०सं०...../श्री मनोज कुमार,
अवर सचिव, निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना सम्प्रति
प्रतिनियुक्त, निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना को अपने कार्यों के
अतिरिक्त अगले आदेश तक निम्नांकित कार्यालयों के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
नामित किया जाता है :-

- (i) निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना
- (ii) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कंकडबाग, पटना
- (iii) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाथिदह, पटना
- (iv) क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, मुजफ्फरपुर
- (v) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुजफ्फरपुर
- (vi) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, कटिहार
- (vii) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, हाजीपुर
- (viii) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, दीघा, पटना
- (ix) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, भागलपुर
- (x) क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, पटना प्रक्षेत्र, पटना
- (xi) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, जमाल रोड (श्री कृष्णानगर), पटना
- (xii) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, पटना सिटी, पटना
- (xiii) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, गया
- (xiv) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बंजारी (रोहतास)
- (xv) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, बिहार शरीफ (नालन्दा)
- (xvi) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, मुंगेर
- (xvii) कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, समस्तीपुर

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

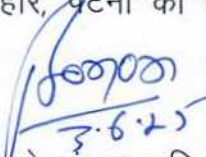
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

(2)

संख्या-1/क०रा०बी०यो०-06/2023 श्र०सं०.....27...../ पटना-01, दिनांक-03/6/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव